सं.11014/13/2009-रा.भा.(प.)
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
***

लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003.
दिनांक: 18 जून, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों आदि द्‌वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिकाओं के लिए पुरस्कार योजना ।

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्‌वारा राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के लिए समय-समय पर हिंदी पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती रही हैं । विगत वर्षों के दौरान इन पत्रिकाओं के कलेवर, साज-सज्जा और आलेख चयन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा मिला है ।

3. हिंदी पत्रिकाओं को स्तरीय बनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्‌देश्य से राजभाषा विभाग द्‌वारा केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागें/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्‌वारा प्रकाशित हिंदीं पत्रिकाओं के लिए पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कारों की संख्या क्रमशः 2-2 रखी गई है । पुरस्कारों के अंतर्गत शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे, लेकिन कोई नकद पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा । पुरस्कार प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं, यथा (i) पत्रिका में कम से कम 40 पृष्ठ होने चाहिए (ii) हिंदी में पृष्ठों की संख्या कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या का 80% होनी चाहिए (iii) 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 की अवधि के दौरान पत्रिका के 2 अंक प्रकाशित होने चाहिए ।

3. तद्‌नुसार, योजना के अंतर्गत पुरस्कार हेतु पत्रिका चयन के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि स्वयं उनके द्वारा और उनके अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्‌वारा 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक प्रकाशित की गई मंत्रालय/विभाग/सरकारी उपक्रम की दृष्टि से उत्कृष्टतम **पत्रिका की 3-3 प्रतियां दिनांक 31 जुलाई, 2009 तक** राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

(डी.के. पाण्डेय)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

OM